



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062021-227728
CG-DL-E-19062021-227728

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 2021/ज्येष्ठ 28, 1943

No. 248]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2021/JYAISTHA 28, 1943

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 11 जून, 2021

सन्दर्भ : HQPUB012/1/2020-PUB-BIS (172).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में नीचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में प्रकाशित भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधनकर्ता है:

1. भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में संदर्भ: PUB 3/2/2019-20 दिनांक 11 मार्च 2020 एवं संदर्भ: PUB 3/7/2020-21 [29 (xiv)] दिनांक 8 जुलाई 2020:

दिनांक 18 फरवरी 2020 की आई एस/आई ई सी 60269-2 : 2016 के स्थापित होने की

अनुसूची के क्रम संख्या: 1) कॉलम (5) में '12 फरवरी 2021' को '12 नवम्बर 2021' से प्रतिस्थापित करें।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./109/2021-22]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 11th June, 2021

Ref: HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS(172).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the specified NOTIFICATIONS of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018:

(1) Extraordinary vide Ref: PUB/3/2/2019-20 dated 11 March 2020 read along with Ref: PUB/3/7/2020-21 [29 (xiv)] dated 8 July 2020:

Sl No. 1, column (5) of schedule notification Dt. 18 Feb 2020, notifying the establishment of IS/IEC 60269-2 : 2016-Substitute '12 November 2021' for '12 Feb 2021'.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization – P & M)

[ADVT.-III/4/Ext./109/2021-22]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2021

संदर्भ: HQ-PUB012/4/2020-PUB-BIS(173) .—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को निरस्त न हो जायें।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि रद्द हों हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	रद्द होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 14697 : 2021 ए.सी. स्टैटिक ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड वाटआवर मीटर (वर्ग 0.2 एस एवम 0.5 एस) एवम वार आवर मीटर (वर्ग 0.2 एस, 0.5 एस एवम 1 एस) – विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	21 मई 2021	आई एस 14697 : 1999 ए.सी. स्टैटिक ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड वाटआवर मीटर (वर्ग 0.2 एस एवम 0.5 एस) एवम वार आवर मीटर (वर्ग 0.2 एस, 0.5 एस एवम 1 एस) – विशिष्टि	20 मई 2022

इन मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002, क्षेत्रीय कार्यालयों: कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, लखनऊ, नागपुर, परवान, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट, कोच्चि, विशाखापटनम में विक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों को <http://www.standardsbis.in> पर आनलाईन खरीदा/ डाउनलोड किया जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./109/2021-22]

NOTIFICATION

New Delhi, the 11 June, 2021

Ref: HQ-PUB012/4/2020-PUB-BIS (173).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

SCHEDULE

Sl No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. , Year & Title of the Indian Standards to be withdrawn, if any	Date of Withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 14697 : 2021 a.c. Static Transformer Operated Watthour Meters (Class 0.2S and 0.5S) and Var-Hour Meters (Class 0.2S, 0.5S and 1 S) — Specification (First Revision)	21 May 2021	IS 14697 : 1999 a.c. Static Transformer Operated Watthour Meters (Class 0.2S and 0.5S) and Var-Hour Meters (Class 0.2S, 0.5S and 1 S) — Specification	20 May 2022

Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Dehradun, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Kochi, Vishakhapatnam. Online purchase/downloading of Indian Standards can be made at <http://www.standardsbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization-P & M)

[ADVT.-III/4/Exty./109/2021-22]